कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/3184/स्थापना/2019 जांजगीर, दिनांक : 21/02/2019

कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर–चाम्पा के पत्र क्र./15649/स्थापना/2019 जांजगीर, दिनांक 27.09.2016 के द्वारा छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश कमांक एफ–2–38/सात–2/2016 नया रायपुर दिनांक 08.09.2016 के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के अंतर्गत (जिला प्रशासन हेतु) जिला जांजगीर–चाम्पा के 13 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में रिक्त 12 पदो पर सीधी भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन उपरांत मेरिट/कौशल परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक ग्रेड–3 के पद पर छ.ग. वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे 1900 संशोधित छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017, वेतन मैट्रिक्स लेबल–4 तथा समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर निम्न शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से नियुक्त कर कॉलम 06 में अंकित पदस्थापना स्थान में पदस्थ किया जाता है :–

अनारक्षित वर्ग (मुक्त–02, महिला–02, अस्थिबाधित–01 कुल–05)

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	वर्ग	पदस्थापना स्थान	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	तुलसीराम देवांगन	रामशरण देवांगन	पुरूष	अपिव	तहसील कार्यालय पामगढ	
2	श्वेता सोनी	पूरन लाल सोनी	महिला	अपिव	तहसील कार्यालय अकलतरा	
3	योगेश कुमार	गोपीलाल	पुरूष	अपिव	तहसील कार्यालय पामगढ	
4	गायत्री वर्मा	भुवन लाल वर्मा	महिला	अपिव	जिला कार्यालय जॉजगीर–चाम्पा	
5	प्रदीप कुमार राठौर	उमेद राम राठौर	पुरूष	अपिव	उप तहसील कार्यालय बाराद्वार	अस्थिबाधित वर्ग से

अनुसूचित जाति वर्ग (मुक्त–04, महिला–02, भूतपूर्व सैनिक–01 कुल–07)

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	वर्ग	पदस्थापना स्थान	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	राजेन्द्र शांतेय	दूजराम शांतेय	पुरूष	अजा	तहसील कार्यालय चाम्पा	
2	अनिल दिवाकर	रामनाथ दिवाकर	पुरूष	अजा	तहसील कार्यालय बम्हनीडीह	
3	परमेश्वरी भारद्वाज	सुरेन्द्र भारद्वाज	महिला	अजा	तहसील कार्यालय अकलतरा	
4	भूपेन्द्र कुमार	उदे राम खुंटे	पुरूष	अजा	तहसील कार्यालय मालखरौदा	
5	विकास कुमार खुंटे	जगराम खुंटे	पुरूष	अजा	तहसील कार्यालय जैजैपुर	
6	निर्मला विलियम	रामाधार विलियम	महिला	अजा	तहसील कार्यालय डभरा	
7	भानु प्रताप कोसले	सुरतलाल कोसले	पुरूष	अजा	तहसील कार्यालय सक्ती	भूतपूर्व सैनिक वर्ग से

//2//

Scanned by CamScanner

नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार है :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः प्राविधिक है। जांच के किसी भी प्रक्रिया में यदि पाया जाता है कि संबंधित नियुक्त व्यक्ति उक्त पद हेतु पात्रता नही रखता है, अथवा गलत जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किया गया है, तो कभी भी बिना कारण बताये नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा अस्थाई तथा अर्द्धस्थायी सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उम्मीदवार की सेवाएं किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन व भत्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
3. संबंधित कर्मचारी की सेवाएं दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगीं तथा इस मध्य कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवा से पृथक करने पर विचार किया जा सकता है। सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही की जावेगी।
4. प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
5. संबंधित अभ्यर्थियों को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक क्षमता प्रमाण पत्र (स्वास्थ्य प्रमाण पत्र) सेवा में पदभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अभाव में उपस्थिति मान्य नही किया जायेगा।
6. इस कार्यालय में आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देवें, तत्समय अभ्यर्थी को निम्नांकित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्व प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
   (अ) शैक्षणिक योग्यता एवं आयु के साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र अथवा अंक सूची।
   (ब) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
   (स) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र। (विकलांग श्रेणी अंतर्गत आवेदित अभ्यर्थियों हेतु मात्र)
   (द) छ.ग. का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
   (इ) मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र।
   (क) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं अन्य प्रमाण पत्र।
   (ख) भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र। । (भूतपूर्व सैनिक श्रेणी अंतर्गत आवेदित अभ्यर्थियों हेतु मात्र)
   (ग) वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी त्याग पत्र की स्वीकृति एवं प्रभार मुक्ति पत्र (वर्तमान में सेवारत अभ्यर्थियों हेतु मात्र)
7. पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन) प्रमाण पत्र में यदि अपराधिक गतिविधियां पाई जाती है तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
8. आरक्षित प्रवर्ग-(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही भी की जावेगी।
9. सेवा अवधि के दौरान किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे और न ही किसी राजनैतिक कियाकलाप में भाग लेंगे।
10. उक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता जारी नियुक्ति आदेश के कम में रहेगी।
11. नवनियुक्त शासकीय सेवक हेतु शासन के आदेशानुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

//3//

Scanned by CamScanner

12. उक्त कर्मचारी का कार्य तथा आचरण प्रतिकुल पाये जाने पर अथवा तत्संबधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्त आदेश निरस्त किया जा सकेगा। राजस्व विभाग अथवा किसी अन्य विभाग के द्वारा अवचार के दोषी/निलंबित/बर्खास्त या ब्लैक लिस्ट किया हुआ आवेदक की नियुक्ति आरोपों की पुष्टि होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त कर दी जावेगी।
13. चयनित कर्मचारी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर अथवा कार्यालय द्वारा पुनः परीक्षण के दौरान आवेदन पत्रो के साथ प्रस्तुत दस्तावेज,प्रमाण पत्र जिसके आधार पर नियुक्ति की जा रही है,जैसे की शैक्षधिक योग्यता,जाति प्रमाण पत्र ,विकलांगता,अनुभव प्रमाण पत्र आदि कभी भी असत्य अथवा फर्जी पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा किसी भी समय नियुक्ति आदेश निरस्त कर संबधित कर्मचारी के विरूद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी, साथ ही दोषी के विरूद्व आरक्षी केंद्रो में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा।
14. यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) कमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

कलेक्टर,
जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/3185/स्थापना/2019 जांजगीर, दिनांक : 23/02/2019

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर–चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी स्थापना/वित्त शाखा जिला कार्यालय जांजगीर–चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर–चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार ...., जिला जांजगीर–चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व संबंधित श्री/सुश्री/श्रीमती ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

कलेक्टर,
जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

Scanned by CamScanner